न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या :– 118/2021

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीः–
1. जसोदा देवी पत्नि रामेश्वर प्रसाद, जाति ब्राहम्ण, नि0 राज्य कर्मचारी कालोनी जी0टी0 रोड़, सोजतसिटी, तहसील सोजत जिला पाली (राज0)		सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक – 10.05'.2022

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम बासना, प0ह0 बासना, भू0अ0निरी0 अटपड़ा, तह0 सोजत जिला पाली में प्रार्थीया स्वयं की खातेदारी कब्जाकाश्त कृषि भूमि वर्तमान खता सांख्या 147 के खसरा नंबर 1004 रकबा 0.9900 है0 किस्म बारानी अव्वल की भूमि स्थित हैं, उक्त भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया का नाम जड़ाव कंवर त्रुटिवश इन्द्राज सुदा है। प्रा0 पत्र में वर्णित वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया जशोदा देवी का नाम पेन ऑफ स्लीप की त्रुटिवश राजस्व रेकर्ड में जड़ाव कंवर इन्द्राज सुदा है, जबकि प्रार्थीया का सही व दस्तोवजी नाम जसोदा देवी ही है। प्रार्थीया को बचपन में घर में लाड़–प्यार से जड़ाव के नाम से पुकारते थे, उक्त रेकर्ड में दर्ज जड़ाव कंवर व प्रार्थीया जसोदा देवी एक ही महिला है, दोनो अलग अलग महिलाए नहीं है। प्रा0 पत्र में अंकित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में सेटलमेंट पश्चात राजस्व कर्मचारियो द्वारा प्रार्थीया जसोदा देवी का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। वक्त इन्द्राज राजस्व कर्मचारियो द्वारा प्रर्थीया के सही व वास्तविक दस्तावेजो का अवलोकन न कर प्रार्थीया का बचपन का नाम जडावकंवर अंकित कर दिया, जबकि प्रार्थीया के तमाम दस्तावेज मदतदाता, पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते की पासबुक व अपने स्वयं के खरीदसुदा नगरपालिका सोजत से वर्ष 2009 की बेचान रजिस्ट्री व अन्य सरकारी अर्द्धसरकारी दस्तावेजात में जसोदा देवी ही दर्जसुदा है। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया का सही व दस्तावेजी नाम जसोदा देवी ही है। जिसको की राजस्व कर्मचारियो द्वारा वक्त इन्द्राज सदभाविक त्रुटिवश जसोदा देवी के स्थान पर जड़ाव कंवर दर्ज कर दिया, तथा उपरोक्त

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

भूमि पर प्रार्थीया का ही बहैसियत खातेदार के कब्जा काश्त व उपयोग व उपभोग आज दिन तक चला आ रहा है। उक्त कृषि भूमि के रेकर्ड में जसोदा देवी के स्थान पर जड़ाव कंवर होने की जानकारी पूर्व से नही थी। प्रार्थीया व उसके पति को राजस्व रेकर्ड के दस्तावेजो की जानकारी के अभाव में उक्त सम्बन्ध में किसी प्रकार की कार्यवाही पूर्व में नही कर सकी। वर्तमान में प्रार्थीया को ऋण की आवश्यकता होने पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर जसोदा देवी के स्थान पर जड़ाव कंवर दर्ज होने की उक्त हुई त्रुटि की जानकारी हुई, इसलिए यह रेकर्ड दुरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया है, नियमानुसार न्याय शुल्क पेश किया है। उक्त कृषि भूमि सरहद मौजा बासना में स्थित होने से यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर उपरोक्त वर्णित भूमि के खसरा संख्या 1004 रकबा 0.9900 हैक्टर बा0अ0 के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में जड़ाव कंवर के स्थान पर जसोदा देवी दर्ज कर रेकर्ड दुरस्त किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। दिनांक 10.05.2022 को अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत द्वारा जबाब पेश कर समस्त तथ्यों को प्रार्थी स्वयं द्वारा साबित किये जाने तथा न्यायालय से सम्बद्ध होना अंकित किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि प्रार्थीया का सही व दस्तावेजी नाम जसोदा देवी ही है। जिसको की राजस्व कर्मचारियो द्वारा वक्त इन्द्राज सदभाविक त्रुटिवश जसोदा देवी के स्थान पर जड़ाव कंवर दर्ज कर दिया, तथा उपरोक्त भूमि पर प्रार्थीया का ही बहैसियत खातेदार के कब्जा काश्त व उपयोग व उपभोग आज दिन तक चला आ रहा है। उक्त कृषि भूमि के रेकर्ड में जडाव कंवर के स्थान पर जसोदा देवी दर्ज किए जाने की ईश्तदुआ की है। अधिवक्ता मय प्रार्थीया का कोई ठोस सबूत पेश नहीं करने तथा उक्त प्रा0 पत्र खातेदारी घोषणा से संबंध होने से क्लीन हैण्ड से पेश नही करने प्रार्थीया का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य होना बहस के दौरान व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात तथा साक्ष्य सबूतों के दस्तावेजात तथा उक्त विवादित भूमि से सम्बद्ध प्रा0 पत्र में वर्णित उक्त तथ्यों की ताईद में प्रस्तुत तस्दीक सुदा शपथ पत्र जमाबंदी संवत 2075–78, 2071–74, 2067–70, 2063–66, 2055–58, 2051–54, प्रार्थीया के मतदाता पहचान पत्र, आधारकार्ड, बैंक पासबुक की प्रति, बेचान रजिस्ट्री भुखण्ड की छायाप्रतिया पेश की। प्रार्थीया के हक/हिस्सा अधिकार धारा 136 के प्रावधानो के तहत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

समाप्त नही किये जा सकते तथा जो अधिकारो की घोषणा के प्रावधानो मे निहीत है। लिहाजा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 के तहत पोषणीय नही होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

–:आदेश:–

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेकर्ड दुरूस्ती के निहित प्रावधानो के तहत नही होने अर्थात घोषणा से सम्बद्ध होने से खारिज योग्य है। लिहाजा अधिवक्तामय प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत उक्त धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानो से विपरीत होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 10.05.2022 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत